# बिहार विधान-सभा वादवृत्त ।

सोमवार, तिथि १३ मार्च, १९६१ ।

भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में सोमवार, तिथि १३ मार्च, १९६१ को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ ।

अनागत अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर ।

श्री विनोदानन्द झा—महाशय, मैं द्वितीय बिहार विधान-सभा के पंचम सत्र (फरवरी-मई १९५९) के शेष ८५६ अनागत अल्प-सूचित प्रश्नों में से १८ प्रश्नों के उत्तर सभा की मेज पर रखता हूं । शेष प्रश्नों के उत्तर सचिवालय के विभागों से प्राप्त होने पर उपलब्ध कराये जायेंगे ।

सूची ।


| क्रम सं० । | सदस्यों का नाम । | प्रश्न संख्या । |
|---|---|---|
| १ | श्री ए० गफूर .. .. .. | ५८ |
| २ | श्री रामेश्वर प्रसाद महथा .. .. | ६९ |
| ३ | श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा .. .. .. | १९३ |
| ४ | श्री छोटे प्रसाद सिंह .. .. .. | २०४ |
| ५ | श्री योगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव .. .. | २५० |
| ६ | श्री महम्मद लतीफुर रहमान .. .. | २८८ |
| ७ | श्री सिद्धेश्वर प्रसाद शर्मा .. .. | ३१७ |

## परिशिष्ट।

बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम ९१(४) के अनुसार सभा मेज पर रखे गये प्रश्नोत्तर।

## APPENDIX.

Question and Answers laid on the Table under rule 91 (4) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Bihar Legislative Assembly.

### CONSTRUCTION OF EMBANKMENT.

1026. **Shri RAMAKANT JHA**: Will the Irrigation Minister be pleased to state whether the construction of the embankment on both the sides of the river Kamla-Balan (Darbhanga) is proposed to be finished before the advert of the next rainy season ?

श्री दीप नारायण सिंह—कमला-वलान के दोनों किनारे तटबन्ध को अगले बरसात के पहले समाप्त करने का प्रस्ताव नहीं है।

### कंकड़हर स्लूइस गेट योजना का कार्यान्वयन।

१०२८। श्री राम जयपाल सिंह यादव—क्या मंत्री, सिंचाई विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार सारन जिला के परसा थाने में मही तटवन्ध में कंकड़हर स्लूईस गेट योजना को कार्यान्वित करना चाहती है; यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दीप नारायण सिंह—उत्तर स्वीकारात्मक है।

### नलकूप को चालू करना।

१०२९। श्री देवनन्दन प्रसाद—क्या सिचाई मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि गया जिला के वारिसलीगंज थाना के अन्दर गोपालपुर गांव में एक नलकूप एक वर्ष पहले ही तैयार हुआ है, जिसमें काफी पानी है;

(२) क्या यह बात सही है कि इस तरह के पांच नलकूप इस (वारिसलीगंज) थाने में प्रयोग किया गया था पर पानी केवल इसी में निकला;

(३) क्या यह बात सही है कि इसमें बिजली का सम्बन्ध अभी नहीं होने के फलस्वरूप यह नलकूप बेकार पड़ा है;

(४) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त नलकूप को चालू करना चाहती है या नहीं, यदि नहीं, तो क्यों ?